

Answers

सारिया, आरियिका विज्ञा प्रविष्टि

卷之三

संदर्भः - प्राविधि/प्रविधि सम्बन्धता/2023/12090001

ਪੰਜਾਬ, ਮਿਤੀ: 12-09-2023

Digitized by srujanika@gmail.com

सम्बद्ध अधिकारी ने विवेक के द्वारा दिये गये विवरों के अनुसार मैं निम्न समाचार को प्रतीक्षित बिंदा घोषित करता हूँ। इसका लाभान्वयन वर्ष 2023-24 के एक सम्पूर्ण व्यवहार के लिए उपयोगिता के लिए उपलब्ध है।

visit us at : 4063-SUVASH INSTITUTE OF PHARMACY

आवश्यक	प्राप्तीकरण का नाम	संभालनीयता/ फॉर्मूला द्वारा परिवर्तित करना 2023-24 तक 2023-24 तक अनुमति देना	24 तक अनुमति देना अन्तिम
1 DIPLOMA IN PHARMACY		60	60

· 有声有色的诗 ·

A

107

www.ebtx.com/Date: 2023/1/30 9:00:03-120981730

Version: 12-29-2023

三

www.wustl.edu/pharmash-institute-of-pharmacy

A

100

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

中華書局 編印於香港

卷之三

अधिक सारांश इनकी लिए योग्य नहीं होता। अतएव उन विद्यालयों का बदलाव जल्दी ही होना चाहिए। यह विद्यालयों के लिए अप्रैल 2022 के अंत तक यहां पर्याप्त विद्यालयों के बदलाव आवश्यक है। अतएव यहां के अधिक सारांश इनकी लिए योग्य नहीं होता। अतएव उन विद्यालयों का बदलाव जल्दी ही होना चाहिए। यह विद्यालयों के लिए अप्रैल 2022 के अंत तक यहां पर्याप्त विद्यालयों के बदलाव आवश्यक है।

WWW.BUYASHINSTITUTE.OF.PHARMACY

मुख्यमंत्री विभाग का अधिकारी द्वारा दिए गए निम्नलिखित विवरों का अनुसार संकेतन किया जाएगा।

4 CH₄ Oxidation Products

सम्बद्धता निरुपी

REFERENCES

2300

1

第六章

— 1 —

के अन्त में एक अवधारणा द्वारा निश्चय किया गया है कि विभिन्न जाति और धर्म विद्या जैसी ही विभिन्न विद्याएँ होती हैं।

प्राचीन भाषा

10

• 例題 2019-2023

100

SHRI MATA JIJABAI SURVASH INSTITUTE OF PHARMACY

REFERENCES

कार्यालय

संशिख, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संघनांड

संख्या:- प्राप्ति/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल औफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शीक्षक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिञ्च प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4863-SUYASH INSTITUTE OF PHARMACY, HAKKABAD, GORAKHPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021- द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित २२ हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
---------	------------------	---

1 DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
-----------------------	----	----

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबद्धी 1992, मेमेस्टर विनियमबद्धी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (30 प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्था-ओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबद्धी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ₹०.आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ हिंदोना इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी जादेश निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिंदोना इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अध्ययन संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नदीनदाम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साझ-सञ्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो जे कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को बताये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्मीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साझ-सञ्जा ए०.आई०सी०टी०इ०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

संचित

प०सी०- प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाधार/निदेशक, SUYASH INSTITUTE OF PHARMACY, HAKKABAD, GORAKHPUR

(सुनील कुमार सोनकर)